पत्रिका 13.08.19

भोपाल में 21 अगस्त को अधिनियम के लिए बैठक, पास होने पर एक कार्यप्रणाली में आएंगी सभी लाइब्रेरी

सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम वाला 17वां राज्य बन सकता है मप्र

पत्रिका रिपोर्टर

इंदौर ◆ देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पास हो चुका है, लेकिन मप्र में अभी भी इसे लागू नहीं किया गया है।

इस क्षेत्र से जुटे संगठन और संस्थाएं 17 बार सरकार को अधिनियम पास कराने का प्रस्ताव भेज चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। 21 अगस्त को भोपाल में होने वाली बैठक में एक बार फिर इस पर चर्चा रखी गई है। उम्मीद है कि इस बार यह अधिनियम पास हो जाएगा। इसके पास होते ही मप्र की 5 सार्वजनिक संभागीय लाइब्रेरी और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली कुल 193 लाइब्रेरी एक संगठित ढांचे में आ जाएंगी। हर जिले को जोड़ता हुआ एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में नई लाइब्रेरी बनाने और पुरानी लाइब्रेरी को व्यवस्थित रखने की कार्यप्रणाली बनाई जाएगी। इसके लिए भोपाल में अलग से विभाग बनेगा और राज्यस्तर के अधिकारियों द्वारा इसे नियंत्रित किया जाएगा।

सोमवार को सभाग पुस्तकालय संघ और शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में लाइब्रेरी साइंस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाइब्रेरी साइंस के पुरोधा पद्मश्री डॉ. एसआर रंगनाथन के 127वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कई प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। जीडी अग्रवाल ने बताया, डीएवीवी के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. अजय साहनी ने डॉ. रंगनाथन के जीवन पर प्रकाश डाला और लाइब्रेरी साइंस पर जानकारी दी। आइपीएस एकेडमी की प्रीति पटेल विशेष अतिथि थी। अध्यक्ष उषा तिवारी और बीआर आंबेडकर समाज विज्ञान संस्थान के डीन प्रो. डॉ किशोर जॉन ने मुख्य वक्ता थे। कार्यक्रम में उषा तिवारी, अजय साहनी, किशोर जॉन और प्रीति पटेल का सम्मान किया गया।